P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत की विभिन्न औद्योगिक नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन

पूजा बाजपेई
असिसटेन्ट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
एस0एस0 कालेज,
शाहजहॉपुर, उ.प्र., भारत

सारांश

किसी भी राष्ट्र के लिए औद्योगिक नीति एक आवश्यक मूल मन्त्र हैं। जिसके माध्यम से कोई भी राष्ट्र उचित एवं तीव्र गति से विकास कर सकता है। औद्योगिक विकास के लिए एक सुनिश्चित, सुनियोजित एवं प्रेरणादायक औद्योगिक नीति की आवश्कता होती है। औद्योगिक नीति के द्वारा कोई राष्ट्र अपने उद्योगों का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन तथा निर्देशन कर सकता है। देश के सन्तुलित विकास हेतु, संसाधनों का उचित दिशा में प्रवाहित करने के लिए उत्पादन को बढ़ाने हेतु, बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु तथा विदेशों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए देश को सुदृढ़ तथा एक उपयुक्त औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है।

केन्द्रीय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव रमेश अभिषेक के अनुसार ''हमें प्रतिस्पर्धी बनना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपनी टेक्नालाजी को अपडेट करना होगा, लागत कम करनी होगी। लॉजिस्टिक्स में सुधार करना होगा, और अपने श्रमिकों को कौशलयुक्त बनाना होगा। औद्योगिक नीति इन सारी चीजों को एक साथ लायेगी और यह बतायेगी कि क्या करने की जरूरत है।''

मुख्य शब्द : औद्योगिक नीतियाँ, तकनीकि, उत्पादन, तुलनात्मक अध्ययन।

प्रस्तावना

1947 में स्वतन्त्रता के बाद से भारत नें औद्योगिक विकास के मार्ग पर अपना कदम रखा। 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का श्रीगणेश किया गया। 1948 भारत में भारतीय औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा गया, जो भारतवासियों तथा देश में तीव्र आर्थिक विकास हेतु आवश्यक समझी गई थी। इस प्रस्ताव से न केवल नीति की व्यापक रूपरेखा परिभाषित की गई बल्कि औद्योगिक विकास में एक उद्यमी और प्राधिकारी के रूप में सरकार की भूमिका भी तय हुई, औद्योगिक नीति के माध्यम से भारत जैसे विकासशील राष्ट्र का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग किया गया। यह नीति नियोजित अर्थव्यस्था के माध्यम से देश का औद्योगिक विकास करने लगी। देश में प्राकृतिक संसाधनो के प्रचुर मात्रा में होने पर भी उनका उचित ढंग से विदोहन नहीं हो पा रहा था। इस नीति के माध्यम से आर्थिक विकास तथा प्रकृतिक संसाधनो का दोहन प्रारम्भ होने लगा।

आर्थिक नीति से अर्थ सरकार के उस चिन्तन से है, जिसके अर्न्तगत औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित रूप से किया जाये। औद्योगिक नीति एक व्यापक धारणा है, जिसमें दो तत्वों का मिश्रण होता है, प्रथम औद्योगिक विकास एवं संरचना के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण या नजरिया, दूसरा इस दृष्टिकोण की प्राप्ति हेतु नियम व सिद्धान्तों को लागू करना। औद्योगिक नीति विशेष रूप से भावी उद्योगों के विकास, प्रबन्ध व स्थापना से सम्बन्धित है। इस नीति को बनाते समय देश का आर्थिक ढांचा, सामाजिक व्यवस्था, उपलब्ध प्राकृतिक व तकनीकी साधन व सरकारी चिन्तन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। किसी भी राष्ट्र को आर्थिक मजबूती व दृढ़ता प्रदान करने हेतु निम्न तत्वों का ध्यान रखना चाहिए।

1. किसी भी राष्ट्र अथवा देश के उचित एवं तीव्र औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है।
2. औद्योगिक नीति सरकार को निश्चित कार्यक्रम बनाने में कार्य करती है।
3. औद्योगिक नीति द्वारा मार्गदर्शन व निर्देशन प्राप्त कर किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ व मजबूती प्रदान की जा सकती है।
4. औद्योगिक नीति जनसाधारण को अपनी जीविकापार्जन हेतु साधन प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार द्वारा देश में अब तक 6 औद्योगिक नीतियां बनाई गई है, भारत की नवीन औद्योगिक नीति 1991 जुलाई में बनाई गई, जिसके अन्तर्गत समय–समय पर इस नीति एवं प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने की घोषणा की गई।

भारत के प्रथम औद्योगिक नीति

भारत सरकार द्वारा देश की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को बनाई गई। इस नीति के अन्तर्गत समस्त उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया।

A. ये वे उद्योग है जो केवल सरकार क्षेत्र में कार्य करेंगे, इनकी स्थापना व विकास का दायित्व पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मदारी होगी। उद्योगः– अणु शक्ति, रेल यातायात, डाक–तार तथा अस्त्र–शस्त्र का निर्माण आदि।
B. ये वे उद्योग हैं, जिनके निर्माण तथा विकास का दायित्व राज्य सरकार का होगा, इन उद्योगों में जो कारखाने पहले से निजी क्षेत्र में कार्यरत थे वे आगे भी उसी तरह से कार्यरत रहेंगे। इन उद्योगों का 10 वर्ष के बाद आवश्यकतानुसार राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। उद्योगः– लोहा इस्पात, कोयला, वायुयान निमार्ण, खनिज तेल, एवं टेलीग्राम आदि।
C. इस वर्ग में राष्ट्रीय महत्व के कुछ आधारभूत उद्योग एवं कुछ उपभोक्ता उद्योगों को सम्मिलित किया गया। B वर्ग वाले उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं होगे, इन्हें राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों के रूप में मान्यता दी जायेगी तथा इसके लिए पर्याप्त तकनीकी ज्ञान एवं पूँजी विनियोग की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया।
D. शेष सभी उद्योग इस वर्ग में कार्यरत होगें, इन्हें पूर्ण रूप से निजी और सहकारी क्षेत्रों के लिए सुरक्षित कर लिया गया, इनकी जिम्मेदारी भी राज्य द्वारा निर्देशित की जायेगी।

उपरोक्त उद्योगो को वर्गीकृत करने के पश्चात् यह नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर देती है, इसके अन्तर्गत सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की कार्य सीमाएं स्पष्ट निर्धारित कर दी गई तथा नीति द्वारा निम्न विचारों पर भी जोर दिया गया।

1. पूँजीवादी उद्योगों के ढ़ाँचे में अचानक परिवर्तन न करके धीरे–धीरे किया जाये ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र का भी विकास हो सके।
2. विदेशी पूँजी के महत्व को भी इस नीति द्वारा स्वीकारा गया।
3. लघु एवं कुटीर उद्योगों के विषय में इस नीति द्वारा विभिन्न स्तरों पर विशेष संस्थाओं के निमार्ण पर जोर दिया गया। श्रमिकों एवं पूँजीपतियों के आपसी सम्बन्ध को सुधारने के लिए कार्य किये गये साथ ही साथ श्रमिको के हितों की सुरक्षा का भी वचन दिया गया।
4. देशी एवं विदेशी पूँजी में भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जायेगी, ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीकरण जिसमें विदेशी पूँजी का विनियोग हुआ हो, क्षतिपूर्ण होने पर सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की उचित व्यवस्था की जायेगी।
5. ऐसे उद्योग जो विदेशी सहायता द्वारा खोले गये हैं, उनकी शर्तें भारतीय स्वामित्व एवं नियन्त्रण में एक समान होगी।

भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति

देश की द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को हुई। इस नीति को 3 वर्गों में बाटा गया।

A. इस वर्ग के अन्तर्गत 17 उद्योगों को शामिल किया गया, इन उद्योगों का दायित्व पूर्णरूप से सरकार का होगा। प्रथम नीति के अन्तर्गत सरकारी उद्योगों का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक एंव व्यापक बना दिया देश के महत्वपूर्ण एवं आधारभूत उद्योग इन 17 उद्योगों की सूची में शामिल किये गये।
B. इस वर्ग के अन्तर्गत वे उद्योग हैं, जिसके विकास में सरकार भविष्य में उत्तरोत्तर अधिक भाग लेगी देश के 12 उद्योगों को इस वर्ग में रखा जायेगा, इन उद्योगों की स्थापना समान्यतः सरकारी क्षेत्र में की जायेगी। निजी क्षेत्र से यह आशा की जायेगी कि वह इन उद्योगों की स्थापना की प्रगति में सरकार का पूर्ण सहयोग दें, अर्थात निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र एक–दूसरे के प्रतिद्वन्दी न होकर परस्पर सहयोगी बनकर कार्य करेंगे।
C. A तथा B वर्ग के अन्तर्गत जो उद्योग आ रहे हैं, वे इस वर्ग में शामिल नहीं होगें। इस वर्ग में विशेषतः उपभोक्ता वर्ग शामिल किये जायेगे। इन उद्योगों का सीमा क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खुला रहेगा, परन्तु समय पड़ने पर राज्य क्षेत्र भी इसमें अपना सक्रिय भाग देगा।

इस नीति से जुड़ी कुछ तथ्यों को निम्न प्रकार दर्शाया गया हैः–

1. सरकार द्वारा इन उद्योगों के विकास एवं सुधार हेतु समस्त सुविधाएं जैसेः– तकनीकी, वित्तीय एवं विक्रय आदि की व्यवस्था करना।
2. इस नीति के आरम्भ होने पर सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत व्यापक बना दिया गया, जिससे कार्य में कुशल एवं अनुभवी प्रबन्धकों और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकें।
3. बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता में छोटे उद्योगों की सुरक्षा व संरक्षण की नीति राज्य द्वारा अपनाई जायेगी।
4. इस नीति के दौरान एक विशेष कैडर बनाया गया जिसके अन्तर्गत संचालन विशुद्ध व्यवसायिक सिद्धान्तों के आधार पर किया जायेगा। इस कैडर की कुशलता का मापदंड केवल लाभ के आधार पर न होकर इस उद्देश्य को भी देखा जायेगा कि वह सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में कहां तक सफल है।

भारत की तृतीय औद्योगिक नीति

भारत की तृतीय औद्योगिक नीति की घोषणा 13 दिसम्बर 1977 को भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई।

इस नीति के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैंः–

1. इस नीति के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका अहम होगी। जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योग करेंगे उन वस्तुओं का उत्पादन उन्हीं क्षेत्रों में होगा। उत्पादित वस्तुओं की सूची में 180 वस्तुएं थी, जिन्हें बढ़ाकर 500 कर दिया गया।
2. लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास बैंक में एक प्रथक विभाग की स्थापना की गई। इस बैंक का उद्देश्य वित्तीय निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा अन्य समस्त वित्तीय संस्थाओं का मागर्दशन एवं निर्देशन करना है।
3. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए उपयुक्त तकनीकी विकास किया जायेगा। इन क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए छोटे तथा सुविधाजनक यंत्रो एवं उपकरणों का विकास किया जायेगा। ''सरकार की यह सुनिश्चित नीति होगी कि किसी भी एक या व्यापारी वर्ग का बाजार में प्रभुत्व अथवा एकाधिकार न हो पाये। बड़े औद्योगिक ग्रहों के वर्तमान औद्योगिक कार्य–कलापों की जाँच पड़ताल की जायेगी ताकि निर्माण या उत्पादन सम्बन्धी आन्तरिक संबंधो से उत्पन्न अनुचित तरीकों को रोका जा सकें।''

भारत की चतुर्थ औद्योगिक नीति

इस नीति की घोषणा 23 जुलाई 1980 को हुई। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य किसी नई नीति का निर्माण न करके 1956 की नीति को दोहराया गया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में आये अवरोधों को दूर करना तथा तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना था।

इस घोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दु निम्न हैं।

1. श्रमिकों की कार्यकुशलता के स्तर में वृद्धि करना।
2. सार्वजनिक उद्यमों की विभिन्न इकाइयों का समय–समय पर अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
3. प्रबन्धक व्यवस्था द्वारा घाटे में संचालित उद्यमों की लाभदायकता एवं उद्यमों परिवर्तन करना।
4. इस घोषणा पत्र में अति लघु उद्योगों, लघु उद्योगों तथा सहायक उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन करके मशीनों एवं पूँजी विनियोग की सीमा को बढ़ा दिया गया। अति लघु उद्योगों के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख, लघु उद्योगों के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तथा सहायक उद्योगों के लिए 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक की व्यवस्था की गई।
5. विभिन्न वित्तीय निगमों एवं संस्थाओं द्वारा उचित मात्रा एवं समय पर ऋण की व्यवस्था करना।
6. सन् 1970 में लाइसेंसिंग प्रक्रिया सुधार एवं सरलीकरण की दिशा में अनेक उपाय किये गये। इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन की प्रगति के लिए डेटा बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक सरकार को यह ज्ञात कराने में सहयोग करेगा कि कौन से व्यक्ति आशय–पत्रों, अनुपत्रों का क्रियान्वयन कर रहें हैं अथवा नहीं। उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही तथा दण्ड की व्यवस्था करने में सरकार की मदद करना।

भारत की पाँचवी औद्योगिक नीति

सरकार ने इस नीति की घोषणा 31 मार्च 1990 को संसद में की। इस नीति के द्वारा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों के विषय में नये मोड़ देने का प्रयास करेगी। इन उद्योगों का मूल आधार वही रहेगा जो 1956 की नीति का रहा। इस नीति के दौरान लघु औद्योगिक क्षेत्र में तथा अति लघु व सहायक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा पूँजी का विनियोग बढ़ा दिया गया। लघु उद्योग के लिए यह सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 60 लाख, अति लघु उद्योग के लिए 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तथा सहायक के लिए भी पूँजी विनियोग बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया।

इस नीति के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैः–

1. वर्तमान समय में लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित सूची में 836 वस्तुएं सम्मिलित हैं, इस सूची में अन्य वस्तुओं को सम्मिलित करके इनका विस्तार किया जायेगा।
2. ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले लघु उद्योगों के लिए एक प्रथक केन्द्रीय विनियोग अनुदान योजना आरम्भ की जायेगी, जिससे कम पूँजी विनियोग द्वारा रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके।
3. बड़े उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने हेतु उनके ऊपर प्रशासनिक प्रतिबन्धों में ढील दी जायेगी।
4. संयुक्त साझेदारी में सरकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जायेगा। इनको वाणिज्य बैंकों और वित्तीय निगमों द्वारा साख प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी।
5. सरकार सर्वोत्तम तकनीकी का प्रयोग करने में बढ़ावा देगी।

भारत की छठी एवं वर्तमान औद्योगिक नीति

वर्तमान भारत में जो औद्योगिक नीति चल रही है वह छठी औद्योगिक नीति का विस्तारक रूप है। भारत की छठी औद्योगिक नीति 1991 में लागू की गई। इस नीति के अन्तर्गत उदारता की नीति की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। यह नीति 1951 के अधिनियम के अन्तर्गत 1952 से प्रारम्भ हुई। 1980 के बाद इस प्रणाली में अनेक सुधार एवं इस नीति को अधिक उदार बनाने का प्रयास समय–समय पर किया गया। लाइसेंस मुक्ति का लाभ MRTP/FERA कम्पनियों को प्राप्त होगा, साथ ही 100% निर्यात करने वाले उद्योगों को भी पूँजी विनियोग हेतु लाइसेंस नहीं लेना होगा, तकनीकी हस्तानान्तरण हेतु सरकार के बिना अनुमोदन प्राप्त किये। विदेशी पक्ष में समझौता कर सकेगा, किन्तु शर्त यह है कि रॉयल्टी का भुगतान देश में की जाने वाली बिक्री 8% से अधिक न हो यदि भुगतान एक मुश्त राशि के आधार पर होता तो सरकार की अनुमति आवश्यक है, साथ ही सरकार भी अपनी अनुमति 30 दिन के अंदर भेजेगी। इस नीति के अन्तर्गत उच्च तकनीति हस्तानान्तरण, विपणन दक्षता, आधुनिक प्रबन्धक का ज्ञान, निर्यात प्रोत्साहन आदि लाभ प्राप्त होगें।

उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक विदेशी इक्विटी पूँजी विनियोग की अनुमति उदारता से दी जायेगी। इन उद्योगों के लिए विदेशी तकनीक के समझौतों के स्वतः अनुमोदन की कुछ शर्तों के साथ व्यवस्था की गई। अनिवार्य लाइसेंस वाले 15 उद्योगों को छोड़कर स्थानीयकरण हेतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में उद्योगों को केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता नहीं होगी। 25 किमी की दूरी पर इन उद्योगों का स्थानीयकरण किया जायेगा। जो प्रदूषण फैलाने वाले न हो, जैसे कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवियर, प्रन्टिंग आदि।

भारत में औद्योगिक संरचना में परिवर्तन एवं समृद्धि के प्रथम चरण 1951 से 1965 में विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया गया। जिसमें पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों एवं मूलभूत उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। लौह एवं इस्पात, भारी इन्जीनियरिंग एवं मशीन निर्माण उद्योगों में भारी मात्रा में निवेश हुआ। फलस्वरूप में पहले 3 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 5.7%, 7.2% तथा 90% उत्पादन की वार्षिक वृद्धि हुई। इसका श्रेय इस काल में सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये व्यापक विस्तार को जाता है।

1956 से 1980 का काल औद्योगिक संरचना में परिवर्तन का दूसरा चरण है। इस काल में कुछ वर्षों को छोड़कर उत्पादन की वृद्धि में प्रतिगमन प्रवृत्ति की दर रही। 1980 के दशक को भारत का पुर्न निर्माण का काल माना जाता है। वृद्धि का यह तीसरा चरण है। इस समय छठी एवं सातवी पंचवर्षीय योजना का काल था, वृद्धि की दर क्रमशः 6.4% तथा 8.5% को रही।

1991 से 2001 में देश के औद्योगिक क्षेत्र में एक नये युग की शुरूआत हुई। यह वृद्धि का चौथा चरण था। उदारीकरण के साथ औद्योगिक क्षेत्र में काफी सुधार हुए परन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना की औद्योगिक वृद्धि काफी कम रही। इसके आगे क्रमशः 1998–1999, 2000–2001 तक वृद्धि 4.1%, 6.6% तथा 7% की रह गई।

वर्तमान काल में तेहरवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। जो योजना आयोग वर्ष 2012–2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना की सालाना वृद्धि दर 10 फीसदी का आर्थिक विकास करने का लक्ष्य निर्धारित किया, परन्तु आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। 11वी पंचवर्षीय योजना में विकास की दर 9% से घटकर 8.1% रह गई।

आधुनिक औद्योगिक नीति के ढांचे में व्यापक परिवर्तन हुए, जिनकी झलक निम्नांकित है।

1. इस नीति के अन्तर्गत देश में भारी में एवं पूँजीगत वस्तु उद्योगों में निवेश पर अधिक ध्यान दिया गया। फलस्वरूप देश में इंजीनियरिंग वस्तुओं, लोहा एवं इस्पात, धातु एवं धातु आधारित वस्तुओं के उद्योग अधिक मात्रा में तेजी से स्थापित किये गये।
2. बिजली परिवहन एवं संचार जैसे बुनियादी सुविधाओं के विकास पर तथा इन से जुड़े उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई।
3. 1990 के दशक में मशीनरी, रसायन गैस, धातु, खनिज पदार्थ, परिवहन उपकरणों आदि उद्योगों की वृद्धि में बढ़ोत्तरी की गई।
4. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का अधिक तीव्र गति से विकास हुआ, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में दो गुना से अधिक बढ़ोत्तरी हुई। सूती वस्त्र उद्योग में कमी आयी परन्तु खाद्य उत्पाद उद्योग तथा पेय, तम्बाकू व तम्बाकू पदार्थ उद्योग में वृद्धि हुई।
5. इस नीति के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था का झुकाव उपभोक्ता वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं की ओर कम होता गया, फलस्वरूप मूल उद्योगों तथा पूँजीगत उद्योगों का महत्व भी कम हो गया।
6. नवीन औद्योगिक नीति में यह स्वीकार किया गया कि विशाल उद्योगों को भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया जायेगा।
7. यह नीति उच्च तकनीकी एवं उच्च निवेश में सम्बद्ध प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची बनाई गयी, जिसमें 51% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वतः अनुमति दी गई।
8. औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नियन्त्रण मुक्त करना ताकि विभिन्न उद्योग प्रतिस्पर्धी रह सकें, उनमें रोजगार व उत्पादकता में वृद्धि हो सके तथा वे उत्पादों की गुणवत्ता में विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके।
9. लघु उद्योगों पर नियन्त्रणों एवं प्रशासकीय औपचारिकताओं को कम किया जायेगा। जिन क्षेत्रों में यान्त्रिक शक्ति की आवश्यकता है वहां पर शक्ति को बढ़ाया जाये तथा जिन क्षेत्रों में यान्त्रिक शक्ति के साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर मानव श्रम को बढ़ावा दिया जाये।

निष्कर्ष

वर्तमान में औद्योगीकरण को राष्ट्र विशेष की उन्नति का पर्याय माना गया है। सभी विकासशील राष्ट्र औद्योगीकरण को देश में सुरक्षा तथा स्थायित्व करने का एक साधन मानते हैं। औद्योगिक नीति को अपनाकर प्रत्येक देश अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकता है। इस नीति द्वारा रोजगार, विदेशी व्यापार, राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जा सकता है। इस नीति का उद्देश्य अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना, पूँजी निवेश, रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

सन्दर्भ सूची

भारतीय अर्थव्यवस्था– कृष्ण बलदेव
भारतीय औद्योगिक नीतियाँ– 1948, 1956, 1977,, 1980, 1990, 1991
औद्योगिक अर्थशास्त्र– कुलश्रेष्ठ
भारत की आर्थिक नीति– बी0सी0 सिन्हा
औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951
नयी आर्थिक नीति– 1991
भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएँ।
दैनिक समाचार पत्र– दैनिक जागरण
दैनिक समाचार पत्र– अमर उजाला
कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिक–
योजना मासिक पत्रिका